दिनांकः 12.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मानसिक रूप से कमजोर 12 वर्षीय गुमशुदा लडकी को मात्र 03 घण्टे में तलाश कर किया गया परिजनो के सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 11.11.2024 को श्री सोहेल अन्सारी निवासी मौ0 शाहमदार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री नसरा जो कि मानसिक रूप से कमजोर है तथा मौहल्ला शाहमदार में अपने घर के बाहर ही खेल रही थी। अचानक से कही चली गयी है। जिसको आस पास तलाश किया गया लेकिन कोई जानकारी नही मिल पायी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा/लावारिस/परिवार से बिछड़े बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने हेतु चलाये जा रहे के अभियान "**आपरेशन मुस्कान**" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए महिला हैल्पडैस्क पर तैनात म0कां0 828 पूजा निश्चल द्वारा उपरोक्त सूचना को न्यूज मीडिया ग्रुप, डिजिटल वालन्टीयर तथा अन्य सोशल मीडिया ग्रुप आदि में गुमशुदा की फोटो शेयर की गयी जिस कारण थाना स्थानीय पुलिस/एन्टीरोमियो टीम द्वारा मात्र 3 घण्टे में ही उक्त लडकी को हिरानमारन के बाजार से ढूँढकर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया। जनता के लोगो द्वारा पुलिस के उक्त कृत्य की प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. म0है0कां0 722 सुनीता थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. म0कां0 828 पूजा निश्चल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मात्र 06 घंटे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार,कब्जे से चोरी का दानपात्र व 1250 रुपये बारमद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12.11.2024 को वादी राजेश्वर त्यागी पुत्र सागर सिंह निवासी ग्राम बहेडकी थाना को0 देहात द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत कुर्बान पुत्र इन्द्रीश निवीसी ग्राम घोघरेकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर द्वारा गोगामाह्ड़ी मंदिर ग्राम घोघरेकी से दानपात्र व उसमें रखे 1250 रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना को0 देहात पर मु0अ0स0 464/24 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस के पजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिए, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.11.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त कुर्बान पुत्र इन्द्रीश निवीसी ग्राम घोघरेकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को मात्र 06 घण्टे में ग्राम घोघरेकी से बहेडकी के बीच रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से चोरी का दान पात्र व 1250 रुपये बरामद किये गये । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि में पढ़ा लिखा नही हूँ तथा शराब व कभी-कभी गाजा पीता हूँ अपने नशे के शौक व अन्य जरुरतो को पूरा करने के लिए छोटी-मोटी चोरी कर लेता हूँ आज सुबह लगभग 6.00 बजे मौका पाकर गोगामह्ड़ी मंदिर से दानपात्र चोरी कर लिया था। जिसमें 1250 रुपये थे।

बरामंदगी का विवरणः-

- 01 दानपात्र
- 1250/- रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त कुर्बान पुत्र इन्द्रीश निवीसी ग्राम घोघरेकी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 795 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त यामीन पुत्र अय्युब निवासी नई बस्ती मौ0 खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा मोबाईल से अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध दी गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 288/24 धारा 65(1)/351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **यामीन पुत्र अय्यूब निवासी नई बस्ती मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर** को अभियुक्त को तकिया ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

यामीन पुत्र अय्यूब निवासी नई बस्ती मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उप निरी0 विजय सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. कां0 2343 संदीप, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांकः 12.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अवीनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त **सलमान पुत्र पप्पू उर्फ शमशाद ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को निरीक्षण भवन कस्बा नकुड के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सौरण सिंह उर्फ सोनू निवासी ग्राम दैदपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2-मौ0 आलमगीर उर्फ आलम पुत्र बुन्दूहसन निवासी सलमान कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 3 -जहांगीर आलम पुत्र मौ0 आलमगीर उर्फ आलम निवासी सलमान कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 4. नासिर पुत्र इमरान निवासी ग्राम धलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र पप्पू उर्फ शमशाद ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 02/24 धारा 307/147/148/149/120 बी भादवि, 3/25/27 आर्म्स एक्ट, 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रुरता अधि0, थाना नकुड़ , सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 2082 तुषार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.11.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण **1.बुद्दु पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम बेहड़ा संदल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1722/24 मु0अ0सं0 281/96 धारा 356 भादवि व **2.शौकीन पुत्र जाहिद निवासी ग्राम सरदाहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1724/24 मु0अ0सं0 293/19 धारा 147/148/323/504/506 भादवि को इनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटियो को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. बुद्दु पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम बेहड़ा संदल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. शौकीन पुत्र जाहिद निवासी ग्राम सरदाहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विजय पाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. है0का0 1046 सतेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. का0 2404 अमित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।

दिनांकः 12.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.11.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सचिन कुमार उर्फ कल्लू पुत्र हरिदास उर्फ दासा निवासी ग्राम रणसूरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व उसे गर्भवती बनाने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 626/2024 धारा 65(1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पोक्सो अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सचिन कुमार उर्फ कल्लू पुत्र हरिदास उर्फ दासा निवासी ग्राम रणसूरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम साधारणपुर रोड के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

सचिन कुमार उर्फ कल्लू पुत्र हरिदास उर्फ दासा निवासी ग्राम रणसूरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 शेषपाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1031 श्रीकान्त भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 458 धर्मपाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. का0 484 अरुण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 12.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्तगण **1.मांगा पुत्र सिमरु निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 532/18 मु0अ0सं0 622/13 धारा 323/506 भादवि मा0 न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय परिषद सहारनपुर व **2. सोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0- 510/2024 धारा 125(3) सीआरपीसी (रिकवरी वारंट) मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय सहारनपुर मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द जिला सहारनपुर के अनुपालन मे एनबीडब्ल्यू को को उनके मसकनो से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. मांगा पुत्र सिमरु निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. सोनू पुत्र रमेश निवासी ग्राम कुरडी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 केपी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- है0का0 22 विनोद कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः 12.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 1.सिद्धार्थ पुत्र महासिंह निवासी ग्राम ढकादेवी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व विपक्षी 2.विशाल पुत्र कुवरपाल 3.ललित पुत्र कुवरपाल नि0गण ग्राम थामना माजरा रणखण्डी थाना देवबन्द सुहारनपुर 4. शेखर पुत्र पप्पन उर्फ पोपी निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर के द्वारा विडियो बनाना व निगरानी रखना की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 400/2024 धारा 70(2) बी0एन0एस0 व 5G/6 पोक्सो अधिनियम व3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 66ई आईटी एक्ट, में पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विशाल पुत्र कुवरपाल निवासी थामना मजरा रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को पिलर नम्बर 10 कस्बा देवबन्द के रोड किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

विशाल पुत्र कुवरपाल निवासी थामना मजरा रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 के0पी0 कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 22 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.11.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **कुलदीप पुत्र भिक्कन सिह निवासी चमन माजरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वारण्ट वाद सं0 2488/23 धारा 125(3) सीआरपीसी व वाद सं0 2391/22 धारा 125(3) मे को ग्राम चमनमाजरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

कुलदीप पुत्र भिक्कन सिह निवासी चमन माजरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सुन्दर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 15000/- रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2023 को वादी श्री शंकर गर्ग पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र कुमार गर्ग हाल निवासी आर्यन सिटी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा धोखाधड़ी आदि करने के सम्बन्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 420/467/468/471/506 भादवि बनाम 1. महेन्द्र सिह आदि 10 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त में एक मात्र अभियुक्त अभि0 सर्वेश मित्तल पुत्र पूरणचन्द मित्तल निवासी म0नं0 6/4ए/81 माधव विहार कालोनी तोता चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर वांछित चल रहा था तथा अभियुक्त सर्वेश मित्तल उपरोक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहानपुर द्वारा 15000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में वांछित/इनामिया अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के **वांछित/इनामी अभियुक्त सर्वेश मित्तल पुत्र पूरणचन्द मित्तल निवासी म0नं0 6/4ए/81 माधव विहार कालोनी तोता चौक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सर्वेश मित्तल पुत्र पूरणचन्द मित्तल निवासी म0नं0 6/4ए/81 माधव विहार कालोनी तोता चौक थाना मण्डी सहारनपुर।

अभि0 सर्वेश मित्तल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0-257/23 धारा 120बी/406/420/467/468/504/506 भादवि थाना मंडी जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0-09/2023 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 165 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अवैध मादक पदार्थ एवं नशे के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान **अभियुक्त नदीम उर्फ रघु पुत्र नसीम निवासी हबीबगढ महक कालोनी हाजी मक्खी का रिठान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को माल गोदाम रोड रेलवे नाटक क्लब के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके **कब्जे से 165 ग्राम नाजायज चरस** बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त नदीम उर्फ रघु उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 335/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चरस को सस्ते दामों पर लाकर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नदीम उर्फ रघु पुत्र नसीम निवासी हबीबगढ महक कालोनी हाजी मक्खी का रिठान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त नदीम उर्फ रघु उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0स0 437/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
2- मु0अ0स0 313/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मंडी, सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 335/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 165 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अवैध मादक पदार्थ एवं नशे के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **शाहरूख उर्फ झाल्ला निवासी मौ0 कमेला कालौनी थाना मण्डी सहारनपुर** को अम्बाला रोड से कब्रिस्तान वाले रास्ते पर खाली पडे प्लाट की दीवार के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शाहरूख उर्फ झाल्ला उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 337/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब खरीद लेता हूँ तथा आस पास व राह चलते लोगो एवं ठेका बन्द होने के बाद अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहरूख उर्फ झाल्ला निवासी मौ0 कमेला कालौनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शाहरूख उर्फ झाल्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 345/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 337/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 यू0टी0 श्री विवेक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।